

Institute of Advanced Studies in Education

(Deemed to be University)

Gandhi VidyaMandir,Sardarshahr – 331403 Distt. Churu (Rajasthan)

e.mail. : info@iaseuniversity.org.in, URL : iaseuniversity.org.in, ph. +91 1564 220025/223642, toll free : 1800 3000 8151

3.7.2 Number of functional MoUs with institutions/ industries in India and abroad for internship, on-the-job training, project work, student / faculty exchange and collaborative research during the last five years (10)

Name of the Organisation/ Institution/ Industry with whom MoU is signed	Year of signing MoU	Duration of MoU	List the actual activities under each MOU year wise	Page No.
कृषि विज्ञान केन्द्र (ICAR) गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर	2019	3 years	<ul style="list-style-type: none"> 1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन 2. कृषि विज्ञान केन्द्र और मानित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ आपसी विचार व जानकारी का आदान प्रदान। 3. समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों की विशेष वार्ता व कार्यक्रम का आयोजन। 	1-2
सेठ भंवरलाल दूगड़ आर्युर्वेद विश्वभारती, गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर	2019	3 years	<ul style="list-style-type: none"> 1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन 2. सेठ भंवरलाल दूगड़ आर्युर्वेद विश्वभारती, और मानित विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के साथ आपसी विचार व जानकारी का आदान प्रदान। 3. समय-समय पर विषय-विशेषज्ञों की विशेष वार्ता व कार्यक्रम का आयोजन। 	3-4
राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (शाला दर्पण)	2018	1 years	Internship activities - 1- Organization of cultural , literary, games/sports activities 2- Sensitization for environmental problems. 3- Cleaning campaigning in school. 4- School climate/Environment 5- Voluntary services. 6- Mass awareness of social evils and taboos 7- Working with community project f social welfare 8- Exhibition of TLM in school prepared by student teacher 9- Participating in various'out of classroom activities' in school Organizing events	5-10

2

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

राजस्थान स्कुल शिक्षा परिषद (शाला दर्पण)	2019	1 years	Internship activities - 1- Organization of cultural , literary, games/sports activities 2- Sensitization for environmental problems. 3- Cleaning campaigning in school. 4- School climate/Environment 5- Voluntary services. 6- Mass awareness of social evils and taboos 7- Working with community project f social welfare 8- Exhibition of TLM in school prepared by student teacher 9- Participating in various'out of classroom activities' in school Organizing events	11
Maruti Art and Craft	2019	3 years	Training in Handicraft	12-13
Interfaith Foundation	2019	5 y e a r s	1. Research Projects in the field of Religious Harmony 2. Exchange of Academic publications and report 3. Organization of seminars, workshops and conferences 4. Research Fellowship 5. Other mutually agreed activities	14-15
Shagun Seasoning and Arts	2020	1 year	Handicraft industrial training	16-17
Provis Technologies Pvt. Ltd.	2020	1 year	Training in software development	18-19
Axis Web Art	2020	1 year	Training in software technologies	20-21
NIGMT Foundation, Dwarka New Delhi	2020	2Year	Certificate Courses	22-24

Registrar
 Institute of Advanced Studies in Education
 (Deemed to be University),
 GVM, Sardarshahr- 331403

REGISTRAR
IASE (Deemed to be University)
G.V.M., Sardarshahr, Churu (Raj)

अर्थात् एक (प्राचीन विश्वविद्यालय), गांधी विद्या मंदिर,
सरदारशहर। - प्रथम पक्ष

एवं

रेष्ठ वैज्ञानिक एवं हैड, कृषि विज्ञान केन्द्र (आईसीएआर), गांधी विद्या मंदिर,
सरदारशहर। - द्वितीय पक्ष

1. दोनों पक्षकारगत के सम्बन्ध निम्नलिखित रूप से अनुबंध किया जाता है-

यह कि आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), 25 राजकीय विद्यालयों (22
ग्रामीण एवं 03 शहरी) में गांधी विद्या मंदिर, सरदारशहर द्वारा शैक्षिक
सम्बलन कार्यक्रम चलाया जा रहा छे इन विद्यालयों में बच्चों को कृषि व
कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी दी जाती है जिससे वे कृषि के क्षेत्र में
लेने वाली प्रगति से अवगत हो सकें तथा आधुनिक कृषि तकनीकी की
जानकारी प्राप्त कर सकें।

2. उद्देश्य -

1. यह कि उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय-समय
पर कृषि विज्ञान केन्द्र और आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा
इन विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।
2. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय-समय पर विद्यालय, छात्र,
अध्यापक, अभिभावकों को कृषि संबंधी जानकारी दी जायेगी।
3. कृषकों को नई उन्नत कृषि उत्पादन तकनीकी की जानकारी उपलब्ध
करवाई जायेगी।
4. यह कि कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित
कर कृषि से संबंधित जागरूकता पैदा की जायेगी।
5. यह कि समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों, अभिभावकों
के साथ विचारों व जानकारी का आदान-प्रदान किया जायेगा।
6. यह कि कृषकों व कृषि विज्ञान के अधिकारियों व शैक्षणिक
अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से उन्नत कृषि उत्पादन प्राप्त
करने हेतु शोध कार्य संपादित किया जायेगा।

3. सहयोग-

1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण
कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।



आयोजित किया जायेगा।

4. आर्थिक व्यवस्था-

1. यह कि कार्यक्रम आयोजन हेतु भारत व्यय मानित विश्वविद्यालय द्वारा ही वहन किया जायेगा।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण सामग्री व साधन वृष्टि विज्ञान केंद्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
3. यह कि उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि कोई यात्रा की जाती है या कोई अन्य खर्च होता है तो उसकी व्यवस्था मानित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

5. नियम और शर्तें-

1. अनुबंध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
2. विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना पूर्व में दी जानी आवश्यक है।
3. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आर्थिक व्यय दोनों पक्षों के पास उपलब्ध वित्त प्रावधानों के अनुरूप किया जा सकेगा।
4. समन्वयन- यह कि दोनों पक्षों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपसी विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण किया जायेगा। दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाये रखेंगे।
5. प्रकाशन-आपसी समन्वय से आयोजित कार्यक्रमों एवं अनुसंधान के परिणामों का समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुबंध पत्र हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारे हस्ताक्षरों से आज दिनांक ..[२०।।२०।।२०]...को निष्पादित किया गया है ताकि भविष्य में वक्त जल्दी काम आये।

यह अनुबंध 3 साल तक माव्य होगा, उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

.....
हस्ताक्षर प्रथम पक्ष-

कृषिविज्ञान
समक्षीय शक्ति राज्यकालीन
भारत एवं राजस्थान विश्वविद्यालय,
गांधीनगर (राजस्थान), भारतारशहर

2. *प्रवीन काम*

[Signature]
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष-
Senior Scientist & Head
Krishi Vigyan Kendra
GVM Sardarshahr, Churu (Raj)



एवं

प्राचीन वर्णना संस्कृत विद्यालय आयुर्वेद विश्व भारती, गाँधी विद्यामंदिर,

सरदारशहर।— द्वितीय पक्ष।

इन दोनों कार्यक्रमों के समय निम्नलिखित रूप से अनुबंध किए जाते हैं—

1. यह कि आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय), गाँधी विद्यामंदिर, सरदारशहर द्वारा 25 सालकीय विद्यालयों (22 ग्रामीण एवं 03 शहरी) में शैक्षणिक सम्बलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है इन विद्यालयों में बच्चों को स्वास्थ्य और जीवन स्वास्थ्य, प्राचीन आयुर्वेद पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि बच्चों का स्वास्थ्य उत्तम रह सके और अपना जीवन यापन सुचारू और सुगम तरीके से कर सकें।

2. उद्देश्य—

1. यह कि उक्त कार्यक्रमों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभय-सभय पर आयुर्वेद विश्व भारती और आईएएसई (मानित विश्वविद्यालय) द्वारा इन विद्यालयों के बच्चों को जागरूक करने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

2. यह कि आयुर्वेद विश्वभारती द्वारा सभय-सभय पर विद्यालय, छात्र, अध्यापक, अभिभावकों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी जायेगी।

3. विद्यालयों के बच्चोंका सभय-सभय पर स्वास्थ्य जांच शिविर लगाकर स्वास्थ्य जांचकी जायेगी व शारीरिक स्वस्थता रख-रखाव, खान-पान आदि की जानकारी दी जायेगी।

4. यह कि आयुर्वेद विश्वभारती द्वारा सभय-सभय पर कार्यक्रम आयोजित कर स्वास्थ्य से संबंधित जागरूकता पैदा की जायेगी।

5. यह कि सभय-सभय पर कार्यक्रम आयोजित कर छात्रों, अभिभावकों के साथ विचारों व जानकारी का आदान-प्रदान किया जायेगा।

6. यह कि विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों व शैक्षणिक अधिकारियों के साथ सामूहिक रूप से उच्चत स्वास्थ्य हेतु आयुर्वेदिक औषधियों व आयुर्वेदिक घन सम्पदा, पेड़ पौधे व प्रति दिन भोजन में पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु जानकारी प्रदान की जायेगी।

3. सहयोग—

1. चयनित विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यक्रम के साथ-साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।




- आपसी दोनों पक्षों के आधार पर इन हैं।
3. स्वास्थ्य सेवा के विषय दिलोपहाँ ची विशेष धातों व कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।
 4. आर्थिक व्यवस्था-
 1. यह कि कार्यक्रम आयोजन हेतु समस्त व्यय मानित विश्वविद्यालय द्वारा ही बहन किया जायेगा।
 2. स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता हेतु प्रशिक्षण सामग्री व साधन आयुर्वेद विश्व भारती द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे।
 3. यह कि उक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु यदि कोई यात्रा की जाती है या कोई अव्य खर्च होता है तो उसकी व्यवस्था मानित विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी। 5. नियम और शर्तें-
 1. अनुबंध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर ही किया जा सकेगा।
 2. विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की सूचना पूर्व में दी जानी आवश्यक है।
 3. कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आर्थिक व्यय दोनों पक्षों के पास उपलब्ध वित्त व्यवस्था के आधार पर किया जायेगा। 6. समन्वयन- यह कि दोनों पक्षों द्वारा कार्यक्रमों के आयोजन हेतु आपसी विचार विमर्श के पश्चात कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक, स्थान व समय का निर्धारण किया जायेगा। दोनों पक्ष आपसी समन्वय बनाये रखेंगे।
 7. प्रकाशन-आपसी समन्वय से आयोजित कार्यक्रमों के प्राप्त परिणामों का समय-समय पर प्रकाशन किया जायेगा।

उपरोक्त अनुबंध पत्र हम दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर हमारे हस्ताक्षरों से आज दिनांक १०.१.२०१९.....को निष्पादित किया गया है ताकि भविष्य में वक्त जरूरत काम आये।

यह अनुबंध ३ साल तक मान्य होगा, उसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है।

M.S. H.
हस्ताक्षर प्रधान पक्ष
(शास्त्रीय संकाग मुख्य)
साक्षीयोग्यानित विश्वविद्यालय),
नियम विधान विभाग सरदारशहर
1. सारताला
2. प्रदीप शर्मा



Z.M.
हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष

(i) प्रथम चरण – माह 09 जुलाई से 31 जुलाई तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इन्टर्नशिप माह नवम्बर-दिसम्बर तक पूर्ण होगी।

(ii) द्वितीय चरण – माह 7 नवम्बर से 20 दिसम्बर से तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा तथा इन्टर्नशिप सत्रान्त तक पूर्ण होगी।

2.2 डी.एल.एड / बी.एड पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 4 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु दीपावली अवकाश के पश्चात द्वितीय चरण में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.3 डी.एल.एड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम चरण में जुलाई-अगस्त माह में राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.4 बी.एड पाठ्यक्रम में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों को 16 सप्ताह के इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रथम एवं द्वितीय चरणों में (जिले की आधी संस्थाओं को प्रथम चरण में तथा शेष आधी संस्थाओं को द्वितीय चरण में) राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।

2.5 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा, प्रथम द्वारा जिले में संचालित समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिले की आधी संस्थाओं को द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रथम चरण के इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन तथा शेष आधी संस्थाओं के द्वितीय चरण के इन्टर्नशिप कार्यक्रम का आवंटन कर सभी संबंधित संस्थाओं एवं सभी जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा / माध्यमिक शिक्षा को सूचित किया जावेगा। यह सूचना विभागीय वेबसाईट www.education.rajasthan.gov.in पर भी अपलोड की जावेगी।

3. इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को राजकीय विद्यालयों का आवंटन की प्रक्रिया

3.1 जिले में संचालित समस्त विद्यालयों में इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या का निर्धारण निम्नानुसार किया जावेगा:-

आदर्श विद्यालय एवं स्थानी विवेकानन्द माडेल स्कूल	उत्कृष्ट विद्यालय	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय	शेष समस्त माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालय	शेष समस्त प्राथमिक / उच्च प्राथमिक विद्यालय
15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद + 02	15 जून को अध्यापकों के रिक्त पद + 02	15 जून को अध्यापकों के रिक्त पद + 01	15 जून को वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापकों के रिक्त पद + 02	15 जून को अध्यापकों के रिक्त पद + 01

उपरोक्तानुसार विद्यालयों को इन्टर्नशिप हेतु आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या डी.एल.एड / बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत प्रशिक्षणार्थियों के लिये दोनों चरणों हेतु पृथक-पृथक निर्धारित की जावेगी।

3.2 सत्र 2018-19 में राजकीय एवं निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं / महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत B.Ed. एवं D.El.Ed. के अतिरिक्त NCTE के नियमानुसार



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-५, जयाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-३०२०१७

दूरभाष: ०१४१-२७००८७२, E-mail: internsr@rediffmail.com

क्रमांक : समसा/परिषद मुख्या.जय/शालादर्पण/2018/249

दिनांक: ०३/०७/१८

अतिआवश्यक

१. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्राइवेट) राजस्थान।
२. समस्त प्राचार्य, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान

विषय - शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इंटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्रशिक्षण/दिशा निर्देश हेतु दिनांक ०९.०७.२०१८ को दोपहर ०२.०० बजे से ०४.०० बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अटल सेवा केन्द्रों के माध्यम से साज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय - जयपुर की अध्यक्षता में एक विडियो कॉन्फ्रेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप स्वयं उपरिथित रहने की सुनिश्चितता करें।

✓✓

(सुरेश चन्द्र)


अति. राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रामाश्री/जय/शालादर्पण/2018/249

दिनांक: ०३/०७/२०१८

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है -

१. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
४. निजी सहायक, निदेशक मा.शि./प्रा.शि., राजस्थान, वीकानेर।
५. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
६. संयुक्त शासन सचिव (आयोजना) प्रा.शि., जयपुर।
७. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, कॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
८. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लॉक ६ में स्थिति वी.सी. कक्ष 205 उपलब्ध करवाने हेतु।
९. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मा०शि०/प्रा०शि०) प्रथम/द्वितीय, राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/महाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यों की उपरिथिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
१०. श्री एस.एन.यादव, अनुसंधान अधिकारी, प्रा.शि. शासन सचिवालय, जयपुर।
११. डॉ. देवेन्द्र जाई, कार्यक्रम अधिकारी, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर।
१२. रक्षित पत्रावली



✓✓
(आमा बेनिवाल)
उपायुक्त

शिक्षक प्रशिक्षण के विभिन्न इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम यथा B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed., M.Sc.-B.Ed. के प्रशिक्षणार्थियों को भी इन्टर्नशिप कार्यक्रम राजकीय/निजी विद्यालयों में करवाया जाना है। अतः नोडल अधिकारियों द्वारा D.E.L.Ed., B.Ed., B.A.-B.Ed., B.Sc.-B.Ed., B.Ed.-M.Ed. एवं M.Sc.-B.Ed. के प्रशिक्षणार्थियों को इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु राजकीय विद्यालयों का आवंटन किये जाने की अनुमति दी जावेगी।

- 3.3 बिन्दु संख्या 3.1 एवं 3.2 के अनुसार राज्य के समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, स्वामी विवेकानन्द मॉडल स्कूल एवं करतूरवा गांधी आवासीय विद्यालय हेतु दोनों चरणों में इन्टर्नशिप के लिये आवंटित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की डी.एल.एड./बी.एड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष हेतु पृथक—पृथक अधिकतम संख्या का निर्धारण 'राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE)' द्वारा शाला दर्पण पोर्टल एवं शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जाकर विद्यालयवार आवंटित प्रशिक्षणार्थियों की अधिकतम संख्या की सूचियां राज्य स्तरीय लॉगिन, शिक्षा उपनिदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक, ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी, पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी तथा समस्त विद्यालयों के लॉगिन आई डी पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यह कार्यवाही 20 जून तक संपादित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
- 3.4 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात कार्यक्रम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी विद्यालय आवंटन मॉड्यूल द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम हेतु ऑन-लाईन आवेदन लिए जाएंगे।

इन्टर्नशिप हेतु पात्रता

क्र. सं.	इन्टर्नशिप चरण	इन्टर्नशिप हेतु ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की तिथि
1.	<p>प्रथम चरण</p> <p>(i) डी.एल.एड. द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी।</p> <p>(ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा—प्रथम द्वारा प्रथम चरण हेतु चिन्हित किया गया हैं।</p>	माह 09 जुलाई 2018 से 31 जुलाई 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।
2	<p>द्वितीय चरण</p> <p>(i) डी.एल.एड. एवं बी.एड. प्रथम वर्ष में अध्ययनरत समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी।</p> <p>(ii) बी.एड द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत उन समस्त शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थी जिन्हे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा—प्रथम द्वारा द्वितीय चरण हेतु चिन्हित किया गया है।</p>	माह 7 नवम्बर 2018 से 20 दिसम्बर 2018 तक राजकीय विद्यालयों का आवंटन किया जावेगा।



3.5 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल पर सूची उपलब्ध होने के पश्चात् इन्टर्नशीप हेतु सत्र 2018-19 के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन लिए जाकर विद्यालय आवंटन रैडम प्रक्रिया के द्वारा ऑनलाइन ही किया जावेगा। इस प्रक्रिया के लिए एन.आई.सी. को सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए अधिकृत किया जाता है। एन.आई.सी. द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर विद्यालय आवंटन मॉड्यूल का सॉफ्टवेयर तैयार किया जावेगा। ऑनलाइन विद्यालय अलोटमेंट प्रोसेस के 'निम्न चरण/प्रक्रिया होगी:-

3.5.1 महाविद्यालय अपने लॉग इन से अभ्यर्थियों के पंजीयन के पश्चात्, पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राउंडवर इन्टर्नशीप हेतु निर्धारित समय सीमा में शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट करवाये जाएँगे। इस ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी उसकी चॉइस के ब्लॉक के 10 विद्यालयों की प्राथमिकता के क्रम में सबमिट करेंगे, जहाँ अभ्यर्थियों को विद्यालय आवंटित किया जावेगा। महाविद्यालय द्वारा Fill-up की गयी चॉइस को अभ्यर्थी पब्लिक डोमेन पर देखकर उसमें परिवर्तन करना चाहेगा तो ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व, महाविद्यालय द्वारा पंजीयन के समय दिए गए मोबाइल पर प्राप्त OTP प्रोसेस द्वारा, परिवर्तित कर सकेगा।

3.5.2 विद्यालय आवंटन की ऑनलाइन प्रक्रिया शाला दर्पण पोर्टल के साथसे से ऑनलाइन ही शाला दर्पण पोर्टल से निर्धारित समय सीमा में फेज वाइज विद्यालय आवंटन किया जावेगा।

3.5.3 अभ्यर्थी द्वारा लिए गए प्रथम आवेदन की 10 विद्यालयों की प्राथमिकता को देखा जाएगा एवं संबंधित ब्लॉक के विद्यालयों में वेकेन्सी (निर्धारित की गणना अनुसार) की उपलब्धता के आधार विद्यालयों का एक डाटा पैकेट बनाया जाएगा, जिसका आधार निम्न होगा:-

3.5.3.1 संबंधित ब्लॉक में अभ्यर्थियों की संख्या, ब्लॉक में उपलब्ध कुल वेकेन्सी से अधिक है तो "मॉडल, आदर्श, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उत्कृष्ट, उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का एक ही पैकेट बनाया जाएगा।

3.5.3.2 वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में पहले "मॉडल, आदर्श, उ.प्रा., मा. एवं उत्कृष्ट विद्यालय का पैकेट बना कर अलोटमेंट किया जाएगा। इस पैकेट के विद्यालय का एलोटमेंट होने के पश्चात् अर्थात् इनमें कोई वेकेन्सी नहीं होने की स्थिति में उ.प्रा. (>100 नामांकन) एवं प्रा. (>60 नामांकन) विद्यालयों का पैकेट बना कर रैडम प्रक्रिया द्वारा विद्यालय का आवंटन किया जाएगा।

3.6 D.E.Ed./B.Ed. पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन्टर्नशीप कार्यक्रम हेतु निर्धारित प्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष की कुल 20 सप्ताह के इन्टर्नशीप कार्यक्रम में से प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में ऐचिक प्रावधान कराये जाने का निर्णय लिया गया है, जो निजी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों को प्रथम वर्ष के 04 सप्ताह का समय (20 प्रतिशत समय) निजी विद्यालयों में इन्टर्नशीप कार्यक्रम कराना चाहते हैं वे 10 निजी विद्यालयों से जाह्नवी पत्र/प्राप्त कर शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाएंगे।



- 3.7 D.El.Ed./B.Ed. पाठ्यक्रम के प्रशिक्षणार्थियों के लिए इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों को आगामी चरणों में प्रशिक्षणार्थियों से उनके इच्छित ब्लॉक के 10 राजकीय विद्यालयों की चाईस मांगी जाकर वरीयता क्रम में “पहले आओं पहले पाओं के सिद्धान्त पर” विद्यालय आवंटन मोड्यूल के माध्यम से इन्टर्नशिप हेतु राजकीय विद्यालय का आवंटन किया जावें।
- 3.8 शाला दर्शन/शाला दर्पण पोर्टल के अनुसार विद्यालय को आवंटित अधिकातम संख्या के अनुसार ही इन्टर्नशिप कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षणार्थियों का आवंटन शाला दर्शन पोर्टल के माध्यम से किया जावेगा।
- 3.9 आवंटन आदेश जारी होने के पश्चात प्रशिक्षणार्थी द्वारा संबंधित विद्यालय में संबंधित संस्था प्रधान को आदेश जारी होने की तिथि के सात दिवस में इन्टर्नशिप हेतु उपस्थिती देनी होगी। संबंधित संस्था प्रधान द्वारा प्रशिक्षणार्थी के उपस्थित होने की सूचना उसी दिवस में अनिवार्यतः शाला दर्पण/शाला दर्शन पोर्टल पर दर्ज करनी होगी।
- 3.10 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी को आवंटित विद्यालय से पूरे सभय उपस्थित रहना होगा। प्रशिक्षणार्थी 4 कालांश विद्यालय में अध्यापन कराने वाले नियमित अध्यापकों की कक्षा में उपस्थित रहकर शिक्षण विधियों का अवलोकन करेंगे एवं शेष 4 कालांश में प्रशिक्षणार्थी विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की देखरेख में अध्यापन कार्य करेंगे।
- 3.11 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षणार्थी को अधिकातम दो दिवस तथा द्वितीय वर्ष के लिए अधिकातम 7 दिवस का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। किन्तु उक्त अवकाश की गणना कुल कार्यदिवस में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। इन्टर्नशिप निर्धारित सभय सीमा में ही पूरी करना अनिवार्य होगा तथा कार्यमुक्त होने के तुरन्त बाद सम्बन्धित महाविद्यालय में प्रशिक्षणार्थी को उपस्थित होना होगा।
- 3.12 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कक्षा 1 से 5 में S.I.Q.E. एवं A.B.L. पद्धति से अध्यापन करवाएंगे। इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को विद्यालय अभिलेख, नवीनतम शिक्षण अधिनियम, विधियों एवं संकल्पनाओं को समझने का अवसर प्रदान किया जावेगा।
- 3.13 इन्टर्नशिप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को अभिभावकों व सामुदायिक इकाईयों से भी सम्पर्क करवाया जावे।
- 3.14 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के लिए एन.सी.टी.ई. के प्रावधानानुसार विभाग द्वारा तैयार की गई विस्तृत डी.एल.एड./बी.एड मार्गदर्शिका के अनुसार स्कूल स्थानबद्ध कार्यक्रम (इन्टर्नशिप) सम्पादित किया जाना सुनिश्चित किया जावें।


(ज्योति चौहान)
शासन उप-सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद (RCSCE) जयपुर।




- ✓ 4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, जयपुर को सम्बद्ध महाविद्यालयों को निर्देशित करवाने हेतु प्रेरित है।
5. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
7. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
8. निदेशक, एन.आई.सी. रमसा, जयपुर।
9. पंजीयक, शिक्षा विभागीय परीक्षाएँ, निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
10. समस्त संभागीय उप निदेशक, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा संभाग
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक / माध्यमिक शिक्षा, जिला
12. समस्त प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला
13. समस्त प्रधानाचार्य, निजी / राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान।
14. समस्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी(बीईईओ) / पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ)।
15. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण / शाला दर्शन प्रकोष्ठ।
16. श्री देवेन्द्र जोशी कार्यकम अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी ऑनलाइन विद्यालय आवंटन मॉड्यूल, शाला दर्पण प्रकोष्ठ।
17. रक्षित पत्रावली।


 (एस.एन.यादव)
 अनुसंधान अधिकारी

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

टेल: F24 (फ्लैट) नीलगढ़ भवाणी/18/355 दिनांक: 18.6.2018

प्रभारी वेबसाईट, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
 उपमा विभाग वेबसाईट पर उपलोड रखें।


 18.6.18.

संयुक्त दिनांक: (निजी संस्करण)
 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा
 राज. जयपुर



राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्



डॉ० राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, ब्लॉक-५, जवाहर, लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-३०२०१७

दूरभाष ०१४१-२७००८७२ E-mail: internsraj@gmail.com

क्रमांक : समसा / परिषद मुख्य अध्ययन / शालादण्ड / २०१९/६९५

दिनांक ११/०७/२०१९

अतिआवश्यक

१. समरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रांशि०) गुरुग्राम विद्यालय राजस्थान।
२. समरत प्राचार्य, शिक्षक प्रियोजन विद्यालय, गहाविद्यालय, (राजकीय एवं निजी) राजस्थान।

विषय - शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इटर्नशिप हेतु विद्यालय आवंटन सम्बन्धी प्रशिक्षण वी.सी. बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पर शिक्षक प्रशिक्षण प्रशिक्षणार्थियों को इटर्नशिप हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के प्राशंकण/दिशा निर्देश हेतु दिनांक १५.०७.२०१९ को दोपहर ११.०० बजे से ०१.०० बजे तक प्रत्येक जिले के ब्लॉक स्तरीय अदले सेवा केन्द्रों के माध्यम से उपायुक्त शाला दर्पण की अध्यक्षता में एक विडियो कॉन्फेन्स आयोजित की गई है।

अतः इसमें आप स्वयं उपरिथित रहने की सुनिश्चितता करें।

(एम.आर.दारडीया)
अतिरुच्य परियोजना निदेशक


क्रमांक : रागांशि०/जय/शालादण्ड/२०१८/६९६

दिनांक ११/०८/२०१८

प्रतिलिपि निम्ने को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है -

१. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
२. निजी सचिव, आयुक्त, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
३. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
४. निजी सहायक, निदेशक गा.सि./प्रांशि., राजस्थान, बीकानेर।
५. निजी सहायक, अति. शाला परियोजना निदेशक, समसा, परिषद मुख्यालय, जयपुर।
६. संयुक्त शासन सचिव (आई.टी.), समसा, परिषद मुख्यालय को उक्त दिनांक को ब्लॉक ६ में रखाते वी.सी. कक्ष २०५ उपलब्ध करवाने हेतु।
७. संयुक्त निदेशक, निजी संस्थाएँ, वॉलेज शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर।
८. उपायुक्त (आई.टी.), समसा, परिषद मुख्यालय को उक्त दिनांक को उपलब्ध करवाने हेतु।
९. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक एन.आई.सी. शिक्षा संकुल जयपुर।
१०. समरत जिला शिक्षा अधिकारी, (प्रांशि०/प्रांशि०, मुख्यालय), राजस्थान को उक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय/गहाविद्यालयों (राजकीय एवं निजी) के प्राचार्यों की उपस्थिति सुनिश्चित करवाने हेतु प्रेषित है।
११. श्री एस.एन.यादव, अनुरुद्धर अधिकारी, प्रांशि०, शासन सचिवालय, जयपुर।
१२. रक्षित पश्चादली।

जै. २०१९/६९६
इसके बारे में जानकारी
को निम्नलिखित रूप
में उत्तिवित हो।



इषुका-III

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between Maruti Art & Craft, Sardarshahr, Rajasthan, India through its Authorised Signatory Sh. Surya Prakash Bansal and the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Maruti and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of handicraft industrial training. To help the students to develop the skill of handicraft and the industry may get a trained manpower when ever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in Handicraft for selected students not more than 25 in an year.
No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of three (3) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the three-year period, and it must be renewed in writing.



This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR MARUTI ART & CRAFT, SARDARSHAH, RAJASTHAN,

INDIA

M/s. Maruti Art And Crafts

સર્વી મારુતી એન્ડ ક્રાફ્ટ્સ

Prop/Manager

Date: 15/02/2019

Surya Prakash Bansal

Authorised Signatory

Maruti Art & Craft, Sardarshahr,

Rajasthan

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAH

Jitendra Pareek

Date: 15/02/2019

Jitendra Pareek

Registrar

Institute of Advanced Studies in Education

(Deemed to be University),

Sardarshahr

Witness 1

Shanti Prakash
Signature

Name : SHANTI PRAKASH.

Address : DUVAR

Address : SARDARSHAH,.....

W.No: 8,.....

SARDARSHAH


Witness 2

SJ
Signature

Name :Shanti Prakash.....

Address :Shanti Prakash,.....

2124129182



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between Interfaith Foundation, India through its President Prof. M.M. Verma and the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called IF and second IASE.

Purpose

The purpose of this Agreement is to promote Research activities like organization of Conferences, Seminars, Workshops, working on Research Projects and other academic activities in the Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

1. Research projects in the field of Religious Harmony;
2. Exchange of academic publications and reports;
3. Organization of Seminars, Workshops and Conferences;
4. President, Interfaith Foundation, India Prof. M.M. Verma sanctioned higher level Research Fellowships of Rs. 1 lakh to three scholars;
5. Other activities as mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of five (5) years from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty



(30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the five-year period, and it must be renewed in writing.

This Memorandum of Understanding completed in English is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

FOR THE INTERFAITH FOUNDATION, INDIA

Date: 10. 6. 2019

Prof. M.M. Verma
President
Interfaith Foundation, India

FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY), SARDARSHAHRAH

Date: 10. 6. 19

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1

Signature

Name: Ganesh Das Swami

Address: Sansalpur.....

Witness 2

Signature

Name: Shanti Baikish Dugar

Address: Banida Baas, Near

Bullock Cart House,
Sardarshahr



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Shagun Seasoning & Arts, Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Proprietor Sh. Vikas Ladia and the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Shagun Seasoning & Arts and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of handicraft industrial training. To help the students to develop the skill of handicraft and the industry may get a trained manpower when ever required.


Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in Handicraft for selected students not more than 25 in an year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must be renewed in writing.



This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

**FOR SHAGUN SEASONING & ARTS, SARDARSHAHAR,
RAJASTHAN, INDIA**

For Shagun Seasoning & Arts

Vikas Ladia

Partner / Manager

Date: 08-01-2020

Name : Vikas Ladia

Authorised Signatory

Shagun Seasoning & Arts, Sardarshahr,
Rajasthan

**FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN
EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY),
SARDARSHAHAR**

Jitendra Pareek

Date: 08-01-2020

Jitendra Pareek

Registrar

Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1

Signature *Mohanta*

Name : Mohanta Chaudhary

Address : Man. Meano Wall

Sardarshahr.....

Witness 2

Signature *Gita Chandrav*

Name : Gita Chandrav

Address : Ram mandir Road

Sardarshahr.....



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Provis Technologies Private Limited, 503, Signature Tower, DC-2 Lalkothi Scheme, District Shopping centre, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan, India* through its Proprietor Sh. Vivek Sharma and the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Provis Technologies and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of software technology. To help the students to develop the skill of software development and the industry may get a trained manpower whenever required.

Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:


Training in software technology for selected students not more than 25 in a year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty

Vivek

Jitendra



(30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must be renewed in writing.

This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.

**FOR PROVIS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED, JAIPUR,
RAJASTHAN, INDIA**

FOR PROVIS TECHNOLOGIES PVT. LTD.

Date: 08-01-2020

Name: VINOD SHARMA
Authorised Signatory Director
Provis Technologies Private Limited,
Jaipur, Rajasthan

**FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN
EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY),
SARDARSHAHAR**

Jitendra Pareek
Jitendra Pareek -

Date: 08-01-2020

Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1

Deepak
Signature

Name: Deepak Shah.....

Address: P.No. 9A, Alankar Vihar

Colony, Panchayat
Srusi Road, Jaipur

Witness 2

Mitesh Chaudhary
Signature

Name: Mitesh Chaudhary

Address: Ram mandir Ban

Sardarshahr.....



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

FOR ACADEMIC AND RESEARCH COLLABORATION

Between *Axis Web Art, Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Proprietor Sh. Dhanpat Saranand the *Institute of Advanced Studies in Education (Deemed to be University), Sardarshahr, Rajasthan, India* through its Registrar Sh. Jitendra Pareek. The first party is called Axis Web Art and second IASE.

Purpose

This collaboration is for those students who are interested in the field of software technology. To help the students to develop the skill of software development and the industry may get a trained manpower whenever required.


Types of Collaboration

Through this memorandum, both Parties affirm the value of collaboration and agree to promote the following activities:

Training in software technology for selected students not more than 25 in a year. No payment shall be made to either party for training. Other conditions may be mutually agreed.

Terms

This Agreement will become effective upon the date of signature by both Parties. It shall remain valid for a period of one (1) year from the date of the last signature, with the understanding that it may be modified by written mutual consent of both Parties. This Agreement may be terminated by either Party with advance written notice of at least thirty (30) days. The agreement may be extended by mutual consent of both parties after the one-year period, and it must be renewed in writing.



This Memorandum of Understanding is hereby signed in two (2) copies with one (1) copy remaining in the possession of each institution.


FORAXIS WEB ART, SARDARSHAH, RAJASTHAN, INDIA

Shri Ram Saran

Date: 10/01/2020

Name:

Authorised Signatory
Axis Web Art,
Sardarshahr, Rajasthan



**FOR THE INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES IN
EDUCATION (DEEMED TO BE UNIVERSITY),
SARDARSHAH**

Jitendra Pareek

Date: 10-01-2020

Jitendra Pareek
Registrar
Institute of Advanced Studies in Education
(Deemed to be University),
Sardarshahr

Witness 1

Signature S. Pareek

Name: Sivrendra Singh Rathore
Address: UOSAR, Loelderia,
Sardarshahr

Witness 2

Signature Mitah Chaudhary

Name: Mitah Chaudhary
Address: Ram Mandir Road
Sardarshahr





IASE
(deemed to be
university)

Accredited with 'B' Grade by NAAC

Main Campus
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR 331403 (Raj.)
Tel : +91 - 1564 - 223602
+91 - 1564 - 223603
Fax : +91 - 1564 - 223602
IASE@IASEUNIVERSITY.ORG.IN
www.IASEUNIVERSITY.ORG.IN

This Memorandum of Understanding for collaboration hereby mutually agreed between -

Institute of Advanced Studies In Education (IASE) Deemed to be University,
Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr, Distt. Churu (Rajasthan), through its Registrar

And

Netra Institute of Geoinformatics Management and Technologies Foundation,
11B, 1st Floor, Above SBI Bank, Opp Metro Pillar No. 769, Near Dwarika Mor, New Delhi – 110059, through its Chief Promoting Officer.

Whereas, the 'Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Deemed to be University' is a deemed to be University recognized U/s 3 of the UGC Act, 1956 hereinafter referred as 'University' and

Whereas, the 'Netra Institute of Geoinformatics Management and Technologies Foundation' is an Institute run by NIGMT Foundation hereinafter referred as the 'Netra Foundation' and

Collectively, hereinafter referred as 'parties'.

Therefore, after consideration of the mutual promises agreed to conduct the courses in collaboration of each other from the session 2020-21 and set forth this Memorandum of Understanding on the following terms and conditions –

1. Different academic/professional courses of different discipline shall be conducted in collaboration of both the parties at the main campus of the University
2. (a) In the primary stage following six courses shall be introduced.
 - 1) PG Diploma in Geoinformatics,
 - 2) Diploma in GIS and Remote Sensing,
 - 3) Certificate in GIS,
 - 4) Certificate in Digital Photogrammetry,
 - 5) Certificate in LiDAR

J. Patel

W. Singh





IASE

(deemed to be
university)

Accredited with 'B' Grade by NAAC

Main Campus
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR 331403 (Raj.)
Ph. +91 - 1564 - 222642
+91 - 1564 - 222625
Fax. +91 - 1564 - 222627
Info@IASEuniversity.org.in
www.IASEuniversity.org.in

6) Certificate in Remote Sensing

(Duration, fees, intake and other details of courses are attached with the document as annex.....).

(b) Number of courses can be increased or decreased on mutual consent of both the parties.

3. Duties and Responsibilities -

(i) Netra Foundation-

a. Training -

It will be responsibility of the Netra Foundation to provide necessary training to the admitted students as required in the curriculum of the course.

b. Salary of staff-

Netra Foundation will identify and hire the required staff for training as per requirement of the course All the Salary and other expenditure of the staff required for the training will be borne by the Netra Foundation.

c. Placement-

It will be responsibility of Netra Foundation to provide required consultancy and service for Placement to the pass out student.

(ii) The University-

a. Certification-

It is responsibility of the University to take examinations and award Certificates to the candidates after successfully completion of course

b. Infrastructure -

The University will make necessary arrangements to provide Infrastructure facilities required for the course

c. Boarding and lodging to the training staff-

J. L. Singh

Page 2 of 3





(deemed to be
University)

Accredited with 'B' Grade by NAAC

Mr. COTTON
GANDHI VIDYA MANDIR
SARDARSHAHAR - 331403 (Raj.)
+91 - 1544 - 223042
+91 - 1544 - 223021
Fax +91 - 1544 - 223062
Email: info@geoinformatics.org.in
www.geoinformatics.org.in

It will be responsibility of the University to provide facility of boarding and lodging to the training staff during the course period

- (III) Alongwith the above all conditions both the parties mutually agreed upon that -
1. Necessary arrangements of Marketing for admission will be responsibility of both the parties i.e Netra Foundation and the University.
 2. The MoU of collaboration will be effective for a period of from the date or both the parties can terminate this MoU on mutual consent.
 3. This MoU can be extended further on the mutual consent of both the parties.

IN WITNESS, on behalf of parties having the authorities following authorized signatories signed this agreement/MoU on at

Signature of Parties:

(Mr. Jitendra Pareek)

Registrar

On behalf of Institute of Advanced Studies in Education (IASE) Deemed to be University,
Gandhi Vidya Mandir, Sardarshahr,
Distt. Churu (Raj) - 331403



(Mr. Devendra Singh)
Chief Promoting Officer
On behalf of Netra Institute of
Geoinformatics Management and
Technologies Foundation,
11B, 1st Floor, Above SBI Bank, Opp
Metro Pillar No 769, Near Dwarka
Mor, New Delhi - 110059

Signature of Witness:

Signature.....

Name. Sandeep Kumar

Yours sincerely

Name Rayendra Nath Tiwari
(Head of the Dep. Geoinformatics)

